राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1922/2013

विजय कुमार महावर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.12.2013
आदेश की दिनांक : 10.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.03.2010 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को निलंबन काल की अवधि का वेतन, शेष राशि एवं मय वार्षिक ब्याज भुगतान किए जाने का आदेश फरमाए जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) के पद पर हुई थी तथा बाद में सहायक अभियंता (एईएन) के पद पर पदोन्नति हुई थी। अपीलार्थी के आईपीसी की धारा 409, 419, 420, 468, 471,120बी साथ ही धारा 13(सी) एवं 13(डी)(2) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और एफआईआर दर्ज करने के आधार पर अपीलार्थी को सीसीए नियम, 1958 की धारा 13 के तहत दिनांक 07.07.2001 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था। अपीलार्थी को दिनांक 26.11.2009 को आरोपों से बरी कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश, एसीडी उदयपुर पारित निर्णय के बाद अपीलार्थी को पूरे पिछले वेतन के साथ सेवा में बहाली का हकदार था, लेकिन अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.01.2010 द्वारा बहाल कर दिया गया था लेकिन आदेश दिनांक 12.03.2010 में

यह माना गया था कि अपीलार्थी इस निलंबन अवधि के दौरान किसी भी वेतन का हकदार नहीं है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को बार–बार अभ्यावेदन दिनांक 31.05.2010, 26.07.2010, 19.01.2011, 15.01.2013 एवं अग्रेषण पत्र दिनांक 01.10.2010 को प्रस्तुत किये लेकिन प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा इनका आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विभाग को न्याय की मांग का नोटिस भिजवाया और अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.03.2010 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को निलंबन काल की अवधि का वेतन, शेष राशि एवं मय वार्षिक ब्याज भुगतान किए जाने का आदेश फरमाए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी आरएसआर के नियम–54 के तहत पूर्ण रूप से दोषमुक्त होने के बाद ही निलम्बन अवधि के परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु अपीलार्थी को न्यायालय के द्वारा संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। अतः आदेश दिनांक 12.03.2010 पूर्णतः नियमानुसार जारी किया गया है। अपीलार्थी को माननीय विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर–राजस्थान) जयपुर के द्वारा आदेश दिनांक 26.11.2009 के द्वारा संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है। पूर्णरूप से दोषमुक्त नहीं हुआ अतः अपीलार्थी निलंबन अवधि का परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) के पद पर हुई थी तथा बाद में सहायक अभियंता (एईएन) के पद पर पदोन्नति हुई थी। अपीलार्थी के आईपीसी की धारा 409, 419, 420, 468, 471,120बी साथ ही धारा 13(सी) एवं 13(डी)(2) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और एफआईआर दर्ज करने के आधार पर अपीलार्थी को सीसीए नियम, 1958 की धारा 13 के तहत दिनांक 07.07.2001 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था। परंतु अपीलार्थी को विशेष न्यायाधीश, एसीडी उदयपुर पारित निर्णय दिनांक 26.11.2009 को आरोपों से बरी कर दिया गया, जिसमें यह अंकित किया गया कि *''अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 409, 419,*

420, 468, 471,120बी भारतीय दण्ड संहिता से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाते हैं तथा उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है।'' इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया गया है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 54 के तहत यदि कार्मिक माननीय न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है तो वह निलंबन अवधि के परिलाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए माननीय न्यायालय ने दोषमुक्त घोषित किया है। अतः हमारे मत में अपीलार्थी उक्त सेवा नियमों के अंतर्गत निलंबन अवधि के परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य